प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

जी प्र.सं. 56 / 2020 अन्तर्गत धारा 88-208 आरटीए एवं 126-136 एलआरएक्ट
देवा सिंह हाण्डा बनाम सरकार
सीसीएमएस : 2020 / 00137

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
06.01.2022	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा.पं. 71 आरबी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी के नाम से चक 19 आरबी का खाता सं. 23 में दर्ज मु.नं. 54 प.नं. 216 / 258 कुल 5.479 है. नहरी मय खाला व खाता सं. 24 मु.नं. 54 प.नं. 216 / 258 मे कुल 0.228है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि हैं। वादी को गुरदेव सिंह व देवा सिंह हाण्डा के नाम से जाना व पहचाना जाता हैं तथा वादी को वास्तविक नाम देवा सिंह हाण्डा ही हैं जो मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, शैक्षणिक रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा हैं। विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय वादी का नाम गुरदेव सिंह उर्फ देव सिंह पुत्र तारा सिंह दर्ज करया गया। मैंने अपना वास्तविक नाम देवा सिंह हाण्डा पुत्र तारा सिंह के नाम से जानने के लिए भारत सरकार गजट दिनांक 12.10.2019 में भी प्रकाशन करवाया हैं। जमाबंदी में नाम गुरदेव सिंह उर्फ देव सिंह पुत्र तारा सिंह दर्ज चला आ रहा हैं, के स्थान पर देवा सिंह हाण्डा पुत्र तारा सिंह दर्ज करने की घोषणा करवा पाने का वादी विधिक अधिकारी हूं। वाद वादी डिक्री फरमावादी का नाम गुरदेव सिंह उर्फ देव सिंह के स्थान पर देवा सिंह हाण्डा घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया हैं। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमाबंदी चक 19 आरबी खाता सं. 23 व 24 में नाम गुरदेव सिंह उर्फ देव सिंह पुत्र तारासिंह दर्ज हैं। वादी द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित साप्ताहिक गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं भाग 4 सं. 41 नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 12–अक्टूबर 18, 2019 की प्रति पेश की हैं। तथा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों पासपोर्ट में नाम देवा सिंह दर्ज हैं। तथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अंकतालिका हायर सैकण्डरी 1966 क्रमांक 8544 6 जून 1966 में नाम देवा सिंह हाण्डा दर्ज हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रिकार्ड में दुरूस्ती की जानी उचित प्रतीत होती हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 19 आरबी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 23 व 24 में दर्ज मु.नं. 54 की भूमि के खातेदार गुरदेव सिंह उर्फ देव सिंह पुत्र तारा सिंह के स्थान पर देवा सिंह हाण्डा पुत्र तारा सिंह की दुरूस्ती कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर [illegible] करते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। इसी आशय की पर्चा [illegible] की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ [illegible] भिजवाया जाकर निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.01.2022 को मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प – 71 आरबी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:58:35 IST
Reason: SelfAttested